

**डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई**  
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)  
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर सेड़वा मुकाम सेड़वा जिला बाड़मेर  
व इजलास श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.

| वादी  | बनाम | प्रतिवादीगण  |
|---|------|--|
| 1. मंगलाराम पुत्र हीराराम जाति सुथार<br>निवासी ईटादा तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर। |      | 1. आम्बा 2. वाला 3. खीमा 4. तगा पि. शेराराम<br>5. धूड़ीदेवी पत्नी शेराराम 6. दीपा 7. चन्दा 8. कुपा<br>9. नाथूराम पि. वीराराम 10. गैरीदेवी पत्नी वीराराम<br>11. मानाराम 12. किशनाराम उर्फ विशनाराम<br>13. हेमाराम पि. हीराराम 14. पुरखा<br>15. अमेदा पि. उतमा जातियान सुथार निवासी<br>ईटादा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।<br>16. शाखा प्रबंधक आर.एम.जी.बी. शाखा कोनरा<br>17. श्रीमान तहसीलदार सेड़वा/धनाऊ। |

मुकदमा नम्बर : 82/2021

दावा बाबत् : राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act

**मंगलाराम बनाम आम्बा वगैरा**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू-ब-रू पक्षकारान व हाजरी उपस्थित मिनजानिव मुदई वादी वकील हासम खान समेजा उपस्थित मनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार सेड़वा/धनाऊ द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 17.11.2022 को प्रस्तुत किया गया। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार की जाती है।

| क. सं. | नाम खातेदारान-   | ग्राम | ख. नं.   | रकबा           | किस्म          | लगान | बरंग |
|--------|--|-------|----------|----------------|----------------|------|------|
| 1      | दीपाराम, चन्दाराम कुम्पाराम,<br>नाथूराम पि. वीराराम, गैरोदेवी पत्नी<br>वीराराम आम्बाराम वालाराम खीमाराम<br>तगाराम पि. शेराराम धूड़ीदेवी पत्नी शेराराम कौम<br>सुथार सा0 देह खातेदार रहन - दीपाराम<br>चन्दाराम कुम्पाराम नाथूराम, गैरोदेवी आम्बाराम<br>वालाराम खीमाराम तगाराम का हि0 RMGB शाखा<br>कोनरा में। | ईटादा | 1117/483 | 146.17<br>बीघा | बारानी<br>सोयम | 3.09 | लाल  |
| 2      | मंगलाराम, मानाराम विशनाराम हेमाराम पि.<br>हीराराम पुरखाराम उमेदाराम पि. उतमाराम कौम<br>सुथार सा0 देह खातेदार रहन-पुरखाराम<br>उमेदाराम का हि0 RMGB शाखा कोनरा में।  | ईटादा | 1117/483 | 146.17<br>बीघा | बा.सो          | 3.09 | हरा  |



राजस्थान काश्त. अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया जो इस प्रकार है—

| क्र. सं. | नाम खातेदारान   | ग्राम | ख. नं.   | रकबा        | किस्म       | लगान | बरंग |
|----------|---|-------|----------|-------------|-------------|------|------|
| 1        | दीपाराम, चन्दाराम कुम्पाराम, नाथूराम पि. वीराराम, गैरोदेवी पत्नी वीराराम आम्बाराम वालाराम खीमाराम तगाराम पि. शेराराम धूड़ीदेवी पत्नी शेराराम कौम सुथार सा0 देह खातेदार रहन - दीपाराम चन्दाराम कुम्पाराम नाथूराम, गैरोदेवी आम्बाराम वालाराम खीमाराम तगाराम का हि0 RMGB शाखा कोनरा में। | ईटादा | 1117/483 | 146.17 बीघा | बारानी सोयम | 3.09 | लाल  |
| 2        | मंगलाराम, मानाराम विशनाराम हेमाराम पि. हीराराम पुरखाराम उमेदाराम पि. उत्तमाराम कौम सुथार सा0 देह खातेदार रहन-पुरखाराम उमेदाराम का हि0 RMGB शाखा कोनरा में।  | ईटादा | 1117/483 | 146.17 बीघा | बा.सो       | 3.09 | हरा  |

तहसीलदार धनाऊ को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17.11.2022 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिले दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2022 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।



*Ramesh*  
(रामजी भाई कलबी)  
सहायक कमिश्नर  
(S.D.O) सैडवा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा  
( पीठासीन अधिकारी : श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस. )

मुकदमा नम्बर :- 82/2021

दावा बाबत :- राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.

| वादी  | बनाम | प्रतिवादीगण  |
|---|------|--|
| 1. मंगलाराम पुत्र हीराराम जाति सुथार<br>निवासी इटादा तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर। |      | 1. आम्बा 2. वाला 3. खीमा 4. तगा पि. शेराराम<br>5. धूडीदेवी पत्नी शेराराम 6. दीपा 7. चन्दा 8. कुंपा<br>9. नाथूराम पि. वीराराम 10. गैरीदेवी पत्नी वीराराम<br>11. मानाराम 12. किशनाराम उर्फ विशनाराम<br>13. हेमाराम पि. हीराराम 14. पुरखा<br>15. अमेदा पि. उत्तमा जातियान सुथार निवासी<br>इटादा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।<br>16. शाखा प्रबंधक आर.एम.जी.बी. शाखा कोनरा<br>17. श्रीमान तहसीलदार सेड़वा/धनाऊ। |

अधिवक्तागण - वादी वकील - श्री हासम खान समेजा

:-निर्णय :-

दिनांक 07.12.2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा दिनांक 12.07.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी थी जिसकी पालना में तहसीलदार सेड़वा/धनाऊ के पत्रांक/भू.अ./2022/2139 दिनांक 17.11.2022 द्वारा मौजा इटादा पटवार क्षेत्र इटादा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बीजासर तहसील धनाऊ में खेत खसरा संख्या 1117/483 रकबा 293.14 बीघा का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। वादी वकील उप0। वादी वकील ने तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनने का निवेदन किया गया। वादी वकील की बहस सुनी गई। तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार ग्राम इटादा के खसरा संख्या 1117/483 रकबा 293.14 बीघा किस्म बा.सो. भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौजा इटादा के मौके पर पहुंचा। मौके पर मंगलाराम पुत्र हीराराम, आम्बाराम, वालाराम, खीमाराम, तगाराम पि. शेराराम, दीपाराम, नाथूराम पि. वीराराम, किशनाराम पुत्र हीराराम, पुरखाराम पुत्र उत्तमाराम, उमेदाराम पुत्र उत्तमाराम उपस्थित हुए। उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया

सहायक कलक्टर  
सेड़वा

तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव की पालना अनुरूप विभाजन की जन्तिम डिक्री नक्शे में अलग-अलग रंग दर्शाये अनुसार जारी की जाती है। उपरोक्तानुसार खातेदार के हिस्से की आराजी का नक्शा लट्टा में तरमीम करने एवम् पृथक पृथक खातेदार में दर्ज करने हेतु तहसीलदार सेड़वा/धनाऊ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे।

बसगत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 07.12.2022 को जारी की गई।



*(Signature)*  
 (रामजी भाई कुलबी)  
 सहायक कलेक्टर  
 (SDO) सेड़वा

### वाद के खर्चे

| वादी |                               | प्रतिवादी                     |       |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-------|
|      | रूपया                         |                               | रूपया |
| 1    | वाद के लिए स्टाम्प            | शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प    |       |
| 2    | शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प    | अर्जी के लिए स्टाम्प          |       |
| 3    | प्रदर्शों के लिए स्टाम्प      | प्लीडर की फीस                 |       |
| 4    | ..... रूपये पर प्लीडर की फीस  | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय |       |
| 5    | साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यह | आदेशिका की तामिल              |       |
| 6    | कमिश्नर की फीस                | कमिश्नर की फीस                |       |
| 7    | आदेशिका की तामिल              |                               |       |